

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड़, फारेस्ट कैंम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja\_200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 919  
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक : 8 / 7 / 2020

मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Sarguja Division "BharatNet project which is a GOI initiative. "

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुण्ड्रा एवं मैनपाट के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.936 हे. कुल 8.903 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर को उपयोग पर देने बाबत।

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42621/2019

- संदर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध/एल.एम.-115-823/3177, दिनांक 24.12.2019
  2. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/107, दिनांक 04.03.2020

—————

विषयान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर, लुण्ड्रा, लखनपुर, सीतापुर एवं मैनपाट अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि 7.677 हे., आरक्षित वनभूमि 0.290 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.936 हे. कुल 8.903 हे. क्षेत्र में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु आवेदक संस्थान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तुतिकरण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छ.ग., अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-29/927 दिनांक 09.04.2019 द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

E:/DM/FCA Proposal/Bharat Net Yojana/memo

वनमण्डलाधिकारी  
सरगुजा वनमण्डल  
अम्बिकापुर

बि.क्र. 1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 17 तक)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर के पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में सम्मिलित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	वनभूमि का विवरण	रकबा (हे. में)
1	सरगुजा	सरगुजा	अम्बिकापुर, लुण्ड्रा, लखनपुर, सीतापुर एवं मैनापाट	आरक्षित वनभूमि	0.290
2	सरगुजा	सरगुजा	—	संरक्षित वनभूमि	7.677
3	सरगुजा	सरगुजा	—	राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ का जंगल)	0.936
कुल योग :-					8.903

विस्तृत विवरण ग्रामवार, खसरावार, कक्ष क्रमांकवार प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 2 रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 20 तक)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/ 115-823/ 3177, दिनांक 24.12.2019 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42621/2019 आबंटित किया गया है।

बि.क्र. 3 वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 29 तक)

वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत सम्मिलित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	वनभूमि का विवरण	रकबा (हे. में)
1	सरगुजा	सरगुजा	अम्बिकापुर, लुण्ड्रा, लखनपुर, सीतापुर एवं मैनापाट	आरक्षित वनभूमि	0.290
2	सरगुजा	सरगुजा	—	संरक्षित वनभूमि	7.677
3	सरगुजा	सरगुजा	—	राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ का जंगल)	0.936
कुल योग :-					8.903

विस्तृत विवरण ग्रामवार, खसरावार, कक्ष क्रमांकवार प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 4 गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 30)

सरगुजा जिला अन्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुण्ड्रा एवं मैनापाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केवल विछाने हेतु प्रस्तावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 36.916 हे. है।

E:/DM/FCA Proposal/Bharat Net Yojana/memo

  
वनमण्डलाधिकारी  
सरगुजा वनमण्डल  
अम्बिकापुर

- बि.क्र. 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 31से 34 तक)  
सर्वे ऑफ इण्डिया की मूल टोपोशीट स्केल 1:50000 पर परियोजना में सम्मिलित भूमि को चिन्हित कर, मानचित्र संलग्न है।
- बि.क्र. 6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 35 एवं परिशिष्ट I और II )  
वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, वनमण्डल रायपुर के द्वारा डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वन आवरण मानचित्र स्केल 1:50000 पर परियोजना में सम्मिलित भूमि को चिन्हित एवं 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को चिन्हित कर, मानचित्र संलग्न है।  
वन सनिधि मानचित्र स्केल 1:15000 पर परियोजना में सम्मिलित वन भूमि को चिन्हित कर मानचित्र संलग्न है।
- बि.क्र. 7 प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 36 से 43 तक)  
परियोजना के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर निर्धारित प्रपत्र - 4 में जानकारी बिन्दुवार संलग्न है।
- बि.क्र. 8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 46 तक)  
परियोजना के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा Detail Note on Project संलग्न है।
- बि.क्र. 9 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 47)  
परियोजना अन्तर्गत न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र का वचन पत्र आवेदक संस्थान का संलग्न है।
- बि.क्र. 10 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 48)  
वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित होने वाली वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- बि.क्र. 11 वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र-I स IV तक) प्रपत्र - IV मुख्यालय से भरा जावेगा ।  
(प्रस्ताव पृष्ठ 49 से 59 तक)  
वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है। निर्धारित प्रपत्र I से IV संलग्न है।

- बि.क्र. 12 ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 59-60)  
ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल नहीं है।
- बि.क्र. 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010 (प्रस्ताव पृष्ठ 61 से 64 तक)  
सरगुजा जिला अन्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुण्ड्रा एवं मैनपाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 14 जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 65)  
सरगुजा जिले की कुल वनभूमि की जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र.15 व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 66 से 67 तक)  
जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 16 व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 68)  
जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 17 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारोडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 69)  
प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारोडोर स्थित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।
- बि.क्र. 18 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 70 से 260 तक)  
सरगुजा जिला अन्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुण्ड्रा एवं मैनपाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन अधिकारी मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर, जिला सरगुजा अम्बिकापुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 19

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 261)

कलेक्टर, सरगुजा जिला अम्बिकापुर का राजस्व वनभूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार संलग्न है।

बि.क्र. 20

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 262 से 263 तक)

परियोजना अन्तर्गत आवश्यक पंजीयन शुल्क रूपये 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 18000/- कुल राशि 24000/- का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया गया, जिसे वनमण्डल के पी.डी. लेखा में चालान क्रमांक 21 द्वारा दिनांक 22.01.2020 को जमा किया गया है। प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42621/2019 है।

बि.क्र. 21

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. की अनुशंसा (प्रस्ताव पृष्ठ 264)

प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल ओ.एफ.सी. के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से नहीं गुजरती है।

बि.क्र. 22

प्रस्ताव अन्तर्गत अतिरिक्त जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 265 से 308 तक)

आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट मय मानचित्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु आवेदक संस्थान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव 04 प्रतियों में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 04 प्रतियों में मय आवश्यक मानचित्र

एवं डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति एवं साफ्ट कॉपी सहित।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक : 8 / 7 / 2020

पृ.क्रमांक/तक.अधि./920

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर, एस.डी.सी. भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर